

FORM NO.III


फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

शिबदान बनाम राजेन्द्र सिंह

किरम मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 82/25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
11.3.25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>शिबदान सिंह</u></p> <p>पिता श्री <u>श.क. भनोहरसिंह ह्यूरी</u></p> <p>निवासी- <u>बस्ती (चित्तौड़गढ़) तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ में ग्राम बस्ती</u> <u>बस्ती/चित्तौड़गढ़ स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 1267, 1268, 1265, 5001/1262, 5004/1264, 5006/1265, 5008/1266</u></p> <p>कुल कीता <u>6</u> कुल रकबा <u>1.0100</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की मांग <u>बस्ती (COR)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>1267, 1268, 5001/1262, 5004/1264, 5006/1265, 5008/1266</u></p> <p>कुल कीता <u>6</u> रकबा <u>1.0100</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000</u> रुपये अक्षरे <u>एक हजार रुपये</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p>


(वीनू कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)